# कृषि निदेशालय, बिहार

पत्र संख्या–6 / स्था0अव0कोर्ट–17 / 2018 / कृ0, पटना, दिनांक– , 2019

प्रेषक,

कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।

सेवा में,

अनुमंडल कृषि पदाधिकारी,
छपरा सदर, सारण।

विषय :– **एम0जे0सी0 नं0–3757 / 2018 श्याम नन्दन दास बनाम बिहार राज्य एवं अन्य के संबंध में।**

प्रसंगः– **माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–825 / 2012 श्याम नन्दन दास बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में पारित न्यायादेश दिनांक 18.07.2016 / कृषि निदेशालय पत्रांक–331 दिनांक 07.04.2017 तथा पत्रांक–215 दिनांक 03.05.2019**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक न्यायादेश के सन्दर्भ में कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–825 / 2012 श्याम नन्दन दास बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में पारित न्यायादेश दिनांक 18.07.2016 का अनुपालन करने के संबंध में आपके पत्रांक–201 दिनांक 20.09.2016 द्वारा माँगे गये मार्गदर्शन एवं अनुरोध पर कृषि निदेशालय, बिहार पटना के पत्रांक–331 दिनांक 07.04.2017 द्वारा निदेशित किये जाने के उपरान्त भी निदेशित किये गये बिन्दुओं से संबंधित अनुपालन प्रतिवेदन की प्रति अबतक की समयावधि में भी कृषि निदेशालय में अप्राप्त है, जो विभागीय कार्यहित में उचित नहीं है।

विदित हो कि आपके द्वारा वांछित अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण श्री दास द्वारा उपर्युक्त न्यायादेश के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय, पटना में विषयाकिंत अवमानना दायर किया गया है, जिसमें कारण पृच्छा दायर करना अतिआवश्यक है।

अतः वर्णित उपरोक्त स्थिति में आपको पुनः निदेशित किया जाता है कि कृषि निदेशालय, बिहार, पटना के प्रासंगिक पत्रांक–331 दिनांक 07.04.2017 एवं पत्रांक–215 दिनांक 03.05.2019 द्वारा निदेशित किये गये बिन्दुओं यथा श्री दास का सेवापुस्त का अभिप्रमाणित छायाप्रति, पाँच वर्षों का वार्षिक गोपनीय अभियुक्ति / विशेष चारित्री अभियुक्ति (संगत अवधि का) सेवा इतिहास पत्र प्राप्ति से दो दिनों के अंदर निश्चित रूप से कृषि निदेशालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। अन्यथा किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति के लिए आप स्वयं जिम्मेवार समझे जायेंगे।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए ससमय अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन,
ह0 / –

कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक – 322 कृ0, पटना, दिनांक– 18-6-2019

प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा / संयुक्त निदेशक (शष्य) सारण प्रमंडल, छपरा / जिला कृषि पदाधिकारी, सारण, छपरा / उप निदेशक (शष्य) सामान्य, कार्यालय संयुक्त निदेशक (शष्य) सारण प्रमंडल, छपरा को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।